राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1991/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
कुमार इन्दु भूषण 189 अंजनि मार्ग] हनुमान नगर विस्तार], Jaipur ,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त सचिव कार्मिक क-1, शासन सचिवालय, Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 30/04/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री भरत कुमार सौंकिया, सहायक शासन सचिव उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 4-9-17 के द्वारा 1993 बैच के राजस्थान केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारीयों को प्रमुख शासन सचिव के पद पर की गई पदौन्नती से संबंधित डी.पी.सी./स्क्रींनिंग कमेटी के गठन, निर्णय, मिनिट्स् आदि के संबंध में 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 21-11-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि संबंधित पत्रावली उच्च स्तर पर लम्बित होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है एवं बिन्दु सख्या 6 के संबंध में वांछित आदेश की प्रति अपीलार्थी को पत्र दिनांक 26-9-17 के द्वारा प्रेषित कर दी गई।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 9-4-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, में अंकित किया है कि अपीलार्थी को विभागीय पत्र दिनांक 17-11-17 एवं 20-12-17 के द्वारा समुचित जानकारी प्रदान कर दी गई थी एवं पुनः प्रेषित जानकारी अपीलोत्तर के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर दी गई है जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित है।
7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने प्रथम अपील संख्या 144/2017 में पारित निर्णय दिनांक 21-11-17 से प्रत्यर्थी को निर्देशित किया था कि चाही गई सूचना के आवेदन के बिन्दु संख्या 1 से 5 से संबंधित सूचना के क्रम में उच्च स्तर पर प्रेषित की गई पत्रावली को 10 दिवस के भीतर प्राप्त करने के प्रयास करे। पत्रावली प्राप्त होने पर आवेदन में चाही गई सूचना का अध्ययन/परीक्षण कर अपीलार्थी को समुचित प्रत्युत्तर प्रेषित किया जावे।

8. प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि प्रथम अपीलीय निर्णय की अनुपालना में अतिशीघ्र कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी को अपने विनिश्चय/सूचना के संबंध में पंजीकृत डाक से आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर संसूचित कर दिया जावे।

9. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त